



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03012026-269091
CG-DL-E-03012026-269091

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 3, 2026/पौष 13, 1947

No. 27]

NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 3, 2026/PAUSHA 13, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2026

का.आ. 27(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में और तारीख 16 जनवरी, 2023 की अधिसूचना सं. का.आ. 272(अ), तारीख 22 जून, 2023 की अधिसूचना सं. का.आ. 2749(अ.) तथा तारीख 22 जून, 2023 की अधिसूचना सं. का.आ. 2751(अ) को प्रतिस्थापित करते हुए; तथापि, ऐसी प्रतिस्थापना से पूर्व किए गए या न किए गए कार्यों के संबंध में, यह निदेश देते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नागर हवेली और दमण और दीव, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, लद्दाख तथा जम्मू-कश्मीर के प्रशासक या उपराज्यपाल, राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन रहते हुए तथा अगले आदेश तक, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 (2020 का 37) के अधीन समुचित सरकार अथवा राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेंगे एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे, उन क्षेत्रों के संदर्भ में जहाँ उक्त संघ राज्यक्षेत्रों को समुचित सरकार अथवा राज्य सरकार के रूप में कार्य करना अपेक्षित है।

[फा. सं. यू.-11030/1/2021-यूटीएल]

प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2026

S.O. 27(E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution and in supersession of the notification numbers S.O. 272(E), dated the 16th January, 2023, S.O. 2749(E), dated the 22nd June, 2023 and S.O. 2751 (E), dated the 22nd June, 2023, except as respects things to be done or omitted to be done before such supersession, the President hereby directs that the Administrator or Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, Andaman and Nicobar Islands, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Chandigarh, Puducherry, Lakshadweep, Ladakh and Jammu and Kashmir shall, subject to the control of the President and until further orders, exercise the powers and discharge the functions of the appropriate Government or State Government under the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 (37 of 2020), for the areas where the said Union territories are required to function as the appropriate Government or State Government.

[F. No. U-11030/1/2021-UTL]

PRAVEEN KUMAR RAI, Jt. Secy.